(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 59/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30THHTH, जून ,2017

सा.का.नि.....(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड-3, उपखंड (i), तारीख 31 मार्च, 2003 के सा.का.नि. 274(अ) द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 52/2003-सीमाशुल्क, तारीख 31.03.2003 जिसे इसमे इसके अधीन उक्त अधिसूचना कहा गया है, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

2. उक्त अधिसूचना में, -

(क) आरंभिक पैरा में, -

(i) "और अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उसपर उद्ग्रहणीय हो" शब्दों के स्थान पर, "और अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई कथित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), (3) और (5) के अधीन उद्ग्रहणीय हो" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) शर्त (2) के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"2क. वस्तुओं के आयात के संबंध में, इकाई सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर वस्तुओं का आयात) नियम 2017 के नियम 5 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगी।";

(ख) पैरा 3 के लिए, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"3. इस अधिसूचना में किसी भी बात के होते हुये भी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क की संपूर्ण शुल्क से छूट, ऐसी आगतों पर लागू नहीं होगी जिनका भारत में आयात अथवा प्रापण किए जाने के पश्चात अंतिम विनिर्मित मालों के [केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन आने वाली मदों से भिन्न अन्य मदें] अथवा सेवाओं के निर्माण के लिए किया जाता हो तथा ऐसी अंतिम विनिर्मित मालों और वस्तुएं (जिसमें उप-उत्पाद, अस्वीकार की गई वस्तुएं, इन वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण, प्रसंस्करित अथवा पैकेजिंग के अनुक्रम में होने वाला निरस्त और अपशिष्ट शामिल है) इन पर

लगने वाले वस्तु और सेवाकर के भुगतान पर विदेश व्यापार नीति के अनुसार घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इनकी आपूर्ति की जाती है या ये विदेश व्यापार नीति के अनुसार स्कीम से बाहर रखे जाने के समय स्टॉक में है तथा एसआईओएन के भीतर अथवा मानदंड समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के भीतर अथवा अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट और निरस्त के मामले में इस अधिसूचना के अधीन आयात की गई अथवा प्रापण की गई वस्तुओं के संबंध में छूट अनुज्ञेय योग्य होगी:

परंतु यदि ऐसी अंतिम विनिर्मित माल (उप-उत्पाद, अस्वीकार की गई वस्तुएं, अपशिष्ट और निरस्त सहित) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन आने वाली मदों सहित वस्तुएं अथवा सेवाएं, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 26/98-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क गै.टे., तारीख 15 जुलाई 1998 अथवा अधिसूचना स. 46/2001- केंद्रीय उत्पाद शुल्क गै.टे., तारीख 26 जुलाई 2001 के अधीन नियुक्त अथवा पंजीकृत वेयरहाऊस को निकासी की जाती है अथवा ऐसे वेयरहाऊस को निकासी की जाती है जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 के अधीन निर्माण प्रक्रिया अथवा अन्य प्रचालनों के लिए और वेयरहाऊस विनियम में निर्माण किए जाने के लिए प्राधिकृत है अथवा ऐसे संगठनों को निकासी की जाती है जो शुल्क के भुगतान किए बिना विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.9 के खंड (ड़) के अनुक्रम में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निम्नलिखित छूट अधिसूचनाओं:-

(i) अधिसूचना सं. 106/58- सीमाशुल्क, तारीख 29 मार्च, 1958;
(ii) अधिसूचना सं. 152/94- सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994;
(iii) अधिसूचना सं. 39/96- सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996;
(iv) अधिसूचना सं. 50/96- सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996;
(v) अधिसूचना सं. 84/97- सीमाशुल्क, तारीख 11 नवंबर, 1997;

की शर्तों के अनुसार ऐसी वस्तुओं के संबंध में शुल्क मुक्त आयात के हकदार हैं, तो इस अधिसूचना के अधीन आयात अथवा प्रापण की गई वस्तुओं के संबंध में छूट अनुज्ञेय रहेगी:

परंतु यह और कि जहां कहीं अंतिम विनिर्मित मालों (जिसमें अस्वीकार की गई वस्तुएं, अपशिष्ट, निरस्त, अपशिष्ट वस्तुएं और उप-उत्पाद शामिल हैं) पर या तो उत्पाद शुल्क नहीं लगता है अथवा शीर्ष/टैरिफ मद सं. 8901, 8902 00 10, 8905 10 00 अथवा 8906 के अधीन आने वाली वस्तुओं के अलावा ऐसी अंतिम विनिर्मित मालों (जिसमें अस्वीकार की गई वस्तुएं, अपशिष्ट, निरस्त, अपशिष्ट वस्तुएं और उप-उत्पाद शामिल हैं) का यदि आयात किया जाता है तो उन पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की शून्य दर तथा इस बारे में छूट अधिसूचना, यदि कोई हो के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन शून्य अतिरिक्त शुल्क लगेगी तथा ऐसी अंतिम विनिर्मित माल (जिसमें अस्वीकार की गई वस्तुएं, वेस्ट, निरस्त, अपशिष्ट वस्तुएं और उप-उत्पाद शामिल हैं) के निर्माण के आशय से उपयोग में लाए जाने वाली आगतों के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी:

परंतु यह और भी कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समेकित तरीके से निर्माण करने के कार्य में जुड़े सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क यूनिट और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क यूनिट को, सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन सॉफ्टवेयर, डेटा एंट्री और कंवर्जन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा विश्लेषण, नियंत्रण डेटा प्रबंधन की बिक्री करने अथवा डेटा संप्रेषण लिंक और अथवा दूर संचार लिंक के माध्यम से कॉल सेंटर सेवाएं देने की अनुमति होगी:

परंतु यह और भी कि वे वस्तुएं जिनकी मरम्मत की गई है, रिकंडीशन किया गया है, रिइंजिनियर्ड हैं, को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरण.- इस पैरा के प्रयोजन के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अथवा इसे बाहर रखे जाने के समय स्टॉक में होने की स्थिति के अनुसार इन पर उद्ग्रहणीय लागू वस्तु और सेवा कर के भुगतान किए जाने पर ऐसी वस्तुओं (जिनमें उप-उत्पाद, अस्वीकार की गई वस्तुएं, इन वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण, प्रोसेसिंग अथवा पैकेजिंग के क्रम में होने वाला वेस्ट और निरस्त शामिल है) अथवा सेवाओं की निकासी से पूर्व फिनिस्ड वस्तुओं [केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन आने वाली मदों के अलावा अन्य मदें] के उत्पादन के आशय से प्रयोग की गई आगतों के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन छूट के रूप में फायदा उठाई गई सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के संपूर्ण भुगतान किए जाने को यह माना जाएगा कि इस अधिसूचना के अधीन किसी छूट का फायदा नहीं उठाया गया है";

(ग) पैरा 11क के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'' 11ख. अधिसूचना में, इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ''शुल्क'' शब्द जहां जहां आया है, से यथास्थिति, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की शुल्क और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1), (3) और (5) के अधीन उद्ग्रहणीय अथवा लागू उत्पाद-शुल्क, के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क यदि कोई हो, अभिप्रेत है।"

3. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से लागू होगी।

[फा.सं.डीजीईपी/एसईज़ेड/09/2017]

(धर्मवीर शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी.- तारीख 31 मार्च, 2003 की मूल अधिसूचना सं. 52/2003-सीमाशुल्क, भारत के राजपत्र, असाधारण में तारीख 31 मार्च, 2003 की सा.का.नि. 274(अ) के अधीन प्रकाशित की गई थी और इसमें तारीख 29 जुलाई, 2016 की का.आ. 2566(अ) के अधीन प्रकाशित तारीख 29 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. 44/2016-सीमाशुल्क के द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।